

उत्तर प्रदेश शासन

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1

संख्या-568/78-1-2016-59आईटी/2016

लखनऊ: दिनांक: 10 मई, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 1159/78-1-2012-129/2012 दिनांक 4 जनवरी, 2013 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2012 के बिन्दु 7.1 में निहित व्यवस्था के अनुपालन में एक सशक्त समिति का गठन किया गया था।

2- आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-449/78-1-2016-25/2012 दिनांक 06 अप्रैल, 2016 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2012 को पुनरीक्षित करते हुए उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2016 प्रख्यापित की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2012 को अवक्रमित करती है।

3- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2016 के बिन्दु 3.4.3 में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की प्रगति पर निगाह रखने और सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति का अनुपालन एवं अनुश्रवण करने हेतु एक सशक्त समिति (Empowered Committee) के गठन की व्यवस्था है, जिसके अनुपालन में निम्न प्रकार से सशक्त समिति का गठन किया जाता है:

1	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, 2016 शासन	सदस्य
3	कृषि उत्पादन आयुक्त, 2016 शासन	सदस्य
4	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, 2016 शासन	सदस्य
5	प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, 2016 शासन	सदस्य
6	प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, 2016 शासन	सदस्य
7	प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य कर विभाग, 2016 शासन	सदस्य
8	प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, 2016 शासन	सदस्य
9	प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, 2016 शासन	सदस्य
10	प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व विभाग, 2016 शासन	सदस्य
11	प्रमुख सचिव/सचिव, आवास विभाग, 2016 शासन	सदस्य
12	प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, 2016 शासन	सदस्य
13	प्रमुख सचिव/सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, 2016 शासन	सदस्य
14	प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, 2016 शासन	सदस्य

P.S. Singh

12-05-2016.

12-05-2016

12-05-2016

4- उक्त सशक्त समिति का अधिकार-पत्र (Charter) निम्नवत् होगा:-

● अनुश्रवण एवं सुनिश्चित करना कि सम्बन्धित आदेशों/अधिसूचनाओं तथा संशोधनों को स-समय जारी कर दिया जाये।

● नीति के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी नगर/ सूचना प्रौद्योगिकी पार्क/मेगा निवेश इकाइयों की स्थापना की स्वीकृति।

● विभागों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं (Projects) उनके प्रारूप (framework)/ कार्यान्वयन-विधि (modalities of implementation) तथा सेन्ट्रल पूल (central pool) से धनराशि उपलब्धता की स्वीकृति।

● इस नीति से सम्बन्धित मामलों में अन्तर्विभागीय सामन्जस्य (Inter Departmental coordination) स्थापित करना।

● प्रमुख संकेतकों (Key Indicators) पर आंकड़ों के आधार पर सू0प्रौ0 नीति के क्रियान्वयन का प्रभावी मूल्यांकन (evaluation) तथा सभी स्तरों पर क्रियान्वयन (implementation) से सम्बन्धित बिन्दुओं का समाधान (resolve)।

5- यूपीएलसी द्वारा उपरोक्तानुसार सशक्त समिति की बैठक आयोजित कराने की व्यवस्था की जायेगी तथा बैठक के पूर्व वांछित सूचनाओं को तैयार कराकर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा एवं बैठक का कार्यवृत्त तैयार कराकर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

6- आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1159/78-1-2012-129/2012 दिनांक 4 जनवरी 2013 को एतद्वारा अवक्रमित किया जाता है।

राजेन्द्र कुमार तिवारी

प्रमुख सचिव।

संख्या-568(1)/78-1-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
- 3- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
- 4- सशक्त समिति के समस्त सदस्यगण।
- 5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव(एन/भू), आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0, शासन।
- 6- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 10-माल एवेन्यू, लखनऊ।
- ✓ 7- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी/यूपीडेस्को/अपट्रान इण्डिया लि0/अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0/श्रीट्रान इण्डिया लि0।
- 8- गार्ड फाइल

आज्ञा से,


(हरीराम)

2 अनु सचिव।